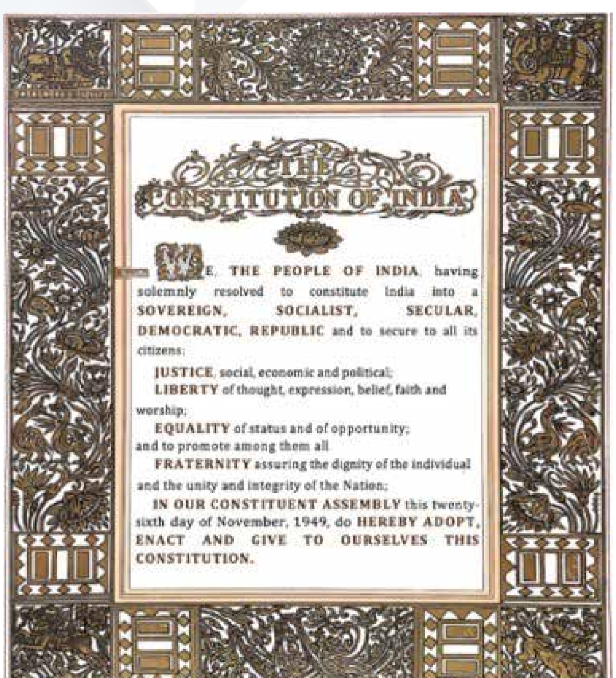
कक्षा में संविधान की प्रस्तावना

अस्मिता तिवारी

भारतीय संविधान हम सभी के लिए जीवन की एक रूपरेखा के रूप में मौजूद है और हम सभी नागरिकों को, चाहे वह युवा हो या बुज़ुर्ग, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कुछ शुरुआती शब्द – *हम, भारत के लोग* – नागरिकता के नज़रिए से गहरे मायने रखते हैं। यह हम नागरिकों को सुनिश्चित करना है कि हम अपना दैनिक जीवन अपने संविधान के आदर्शों के अनुसार जिएँ। प्रस्तावना, संविधान का सार है और इस कारण वह आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। हम सभी भारतीयों के लिए यह विज़न स्टेटमेंट या लक्ष्यों का एक विवरण है।

यह एक पन्ने का वाक्य, जीवन के मूल मानवीय मूल्यों पर आधारित है जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बाँधता है। यह मूल्य हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं और हमारे अनुभव इन्हीं मूल्यों के आधार पर बनते हैं। पर हममें से कितनों ने पाठ्यपुस्तकों के पहले पन्ने पर छपी *प्रस्तावना* को पढ़ा है?

हमें प्रस्तावना में जान फूँकने और युवा नागरिकों यानी हमारे विद्यार्थियों के दिन-प्रतिदिन के अनुभवों से इसे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। *वी, द पीपल अभियान* संस्था में हमारा उद्देश्य है हर नागरिक को उनकी भूमिका समझने और शक्ति एवं ज़िम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना। हमारा मानना



THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC, REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

है कि किसी का प्रभाव-क्षेत्र (sphere of influence) चाहे बड़ा हो या छोटा, महत्त्वपूर्ण यह है कि नागरिक अपने प्रभाव-क्षेत्र के भीतर कुछ ठोस कदम उठाएँ जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के मानवीय मूल्यों पर आधारित हों।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा IX की सामाजिक और राजनीतिक जीवन (एसपीएल) पाठ्यपुस्तक में प्रस्तावना के बारे में विस्तार से बात की गई है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ किए कार्य ने हमें उनके साथ मिलकर, प्रस्तावना को और बेहतर समझने में सक्षम बनाया। इसके साथ ही हमें इस एक पन्ने के दस्तावेज़ को नागरिकों के दृष्टिकोण से देखने और इन मूल्यों को हमारे दैनिक जीवन से जोड़ने का एक नया नज़रिया दिया है।

कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण

2019 में शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली के सहयोग से *कॉन्स्टिट्यूशन ऐट 70* (Constitution at 70) नामक तीन महीने के एक अभियान का आयोजन किया गया। यह दिल्ली के सभी 1,200 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, और छठी से नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का अवसर था। अभियान का उद्देश्य, प्रस्तावना के बारे में जागरूकता फैलाना और चेतना विकसित करना था ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के मानवीय मूल्यों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकें।

इसकी ज़रूरत, आठवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों की इस धारणा से उत्पन्न हुई कि एसपीएल पाठ्यक्रम न केवल 'उबाऊ' है, बल्कि 'अप्रासंगिक' और 'अव्यावहारिक' भी है। इन प्रतिक्रियाओं ने शिक्षण-अधिगम सामग्री को विद्यार्थियों के जीवन के अनुभवों से जोड़ने की ज़रूरत की ओर इशारा किया। जीवन-अनुभव व्यक्ति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने के साथ ही सीखने के स्रोत के साथ एक सहज सम्बन्ध बनाने में मदद करते हैं। अपने कार्यों पर चिन्तन से मिली सीख, सीखने के अनुभवों को और समृद्ध करती है। इस अभियान के तहत युवा नागरिकों के लिए ऐसे अनुभव तैयार किए गए जिससे वे अपने प्रभाव-क्षेत्र में शामिल मित्रों, परिवार और आस-पड़ोस के लोगों से जुड़ सकें। इसका उद्देश्य

यह था कि वे अपने रोज़मर्रा के जीवन में संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार और आत्मसात कर सशक्त नागरिक बन सकें।

इस योजना के आधार पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए मासिक शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित की गई। इसमें शिक्षकों के लिए पाठ्य और ऑडियो सामग्री और विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-सामग्री शामिल थी। हर महीने के अन्त में, स्कूल, *संविधान-मेलों* का आयोजन करते, जिसमें सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक, पैनल में चर्चा, जेंडर और वर्ग-भेद जैसे विषयों पर बहस जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती थीं। रुचिकर, अनुभवात्मक, चिन्तनशील, विचारोत्तेजक द्विभाषी सामग्री बनाई गई। संवैधानिक मूल्यों पर व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए सामग्री को छोटे सत्रों में बाँटा गया था।

शिक्षकों को हर महीने, एक संवैधानिक मूल्य से सम्बन्धित सामग्री दी जाती थी। ऑडियो सामग्री में पॉडकास्ट शामिल थे जिनमें दैनिक अनुभवों के सन्दर्भ में प्रत्येक मूल्य की व्याख्या की गई थी। पाठ्य सामग्री में पाठ-योजनाएँ और टीचर कम्पैन्यन शीट्स (टीसीएस) शामिल थीं। टीसीएस में एक मूल्य पर गहरी समझ के लिए अवधारणा मानचित्र (कॉन्सेप्ट मैप) व कक्षा में गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए दिशा-निर्देश शामिल थे।

वैल्यू-डायरी और खेल-पुस्तिकाएँ

वैल्यू-डायरियों में आत्म-अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण-प्रश्न शामिल थे। आत्म-चिन्तन के लिए दिए गए प्रश्नों ने, विद्यार्थियों को अपने आस-पास के अनुभवों और आपस में की गई बातचीत के आधार पर संवैधानिक मूल्यों की समझ बनाने की प्रक्रिया में मदद की। विद्यार्थियों ने अपने नज़दीकी लोगों में से एक सदस्य का चयन किया जिन्हें वे इन मूल्यों के उदाहरण के रूप में देखते थे।

वैल्यू-डायरियों को *खेल-पुस्तिकाओं* द्वारा पूरित किया गया था। यह क्रिया-उन्मुख थीं और इनमें आवश्यक मूल्यों को जीवन्त करने के लिए गतिविधियाँ शामिल थीं। इसने विद्यार्थियों को आत्म-अन्वेषण की ओर प्रेरित किया और करके सीखने पर आधारित अनुभवात्मक शिक्षण में मदद की। प्रत्येक मूल्य की प्रासंगिकता को अनुभव करने व उसे समझने के लिए विद्यार्थी हर महीने चार गतिविधियों का चयन कर सकते थे।

एरिक एरिकसन (Erik Erikson) के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धान्त के अनुसार, किशोर अवस्था के दौरान, पहचान की भावना विकसित होती है क्योंकि किशोर ख़ुद को एक सामाजिक और सांस्कृतिक समूह के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। एरिकसन ने इसे एक संकट कहा है, जिसका अर्थ प्रतिकूलता नहीं है : यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का क्षण है। यह परिवर्तन व्यक्ति के अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सम्पर्क पर निर्भर करता है। शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के ऐसे चरण में, समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व के मूल्यों से परिचय, एक व्यक्ति के विकास में मदद करता है।

इस अभियान के दौरान विद्यार्थियों के साथ कई बार की गई बातचीत में, मूल्यों के साथ उनके अविश्वसनीय अनुभवों के बारे में पता चला। मैंने इन प्रसंगों को तीन विषयों में बाँटा है :

- स्वतंत्रता की ताक़त
- अपने द्वारा किए गए न्यायोचित कार्य का बोध
- अपने द्वारा किए गए अन्याय का बोध

यह, विद्यार्थियों को प्रस्तावना पढ़ाने के ज़बरदस्त प्रभावों को दर्शाते हैं और मूल्यों के साथ उनके अनुभवों को सामने लाते हैं साथ ही मूल्यों को उनके दैनिक जीवन से भी जोड़ते है। कुछ प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार थीं :

स्वतंत्रता की ताक़त

- वोट देने और अपनी सरकार चुनने की ताकत, स्वतंत्रता के मूल्य का फल है। मैंने चुनने की स्वतंत्रता के बारे में सीखा है।
- मेरे माता-पिता ने मुझे अपनी पसन्द का विषय चुनने की स्वतंत्रता दी। किसी विषय-विशेष के चयन के लिए बाध्य करने से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है शिक्षा।
- हाल ही में, मैं और मेरे दोस्त मेरा जन्मदिन मनाने एक रेस्तरां गए थे। वह थोड़ा महँगा ज़रूर था लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा कि वह जगह हमारे लिए नहीं है। किसी ने भी हमसे यह नहीं पूछा कि हम वहाँ क्यों आए हैं। हमें वहाँ समय बिताना और मेरा जन्मदिन मनाना अच्छा लगा।

अपने द्वारा किए गए न्यायोचित कार्य का बोध

- मैने कभी किसी की पसन्द या स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को रोक-टोक करें। हम सब स्वतंत्र हैं।

अपने द्वारा किए गए अनुचित कार्य का बोध

- हाँ, मैंने दूसरों को बाधित किया और पहले मुझे अच्छा लगा। पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों की स्वतंत्रता बाधित करूँ।
- कोई अगर अनुसूचित जाति का है या 'सामान्य' है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस अनुसूचित जाति का दोस्त रहे या 'सामान्य' का। उसे दूसरे लोगों के साथ भी रहना चाहिए।



इन अनुभवों के आधार पर हम युवा नागरिकों के लिए, सक्रिय नागरिकता के और अधिक ऐसे अनुभव बनाने में सक्षम हुए हैं। हालाँकि विद्यार्थी अपने एसपीएल पाठ्यक्रम की अवधारणाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन आत्म-चिन्तन करने, परिवार और आस-पड़ोस के लोगों के साथ बातचीत से उन्हें मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का अनुभव करने का मौका मिला। इस तरह उन्होंने संविधान और प्रस्तावना को अपने जीवन से अलग नही समझा। अभियान के दौरान उनके साथ साझा की गई पूरक सामग्री ने उन्हें इन मूल्यों को जीने का मौक़ा दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्रस्तावना केवल उनकी किताबों में छपा एक दूरस्थ विचार नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसका सामना वे विभिन्न परिस्थितियों में नियमित रूप से करते हैं।

अन्य उपयोग

यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि इस पद्धति का इस्तेमाल, एसपीएल पाठ्यक्रम की सामग्री के शिक्षण के एक वैकल्पिक तरीक़े के रूप में भी किया जा सकता है। साथ ही, इस अभियान को एक कार्यप्रणाली के रूप में इस्तेमाल करते हुए, हम शिक्षकों के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण से जुड़ना ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारी कक्षाओं में ऐसी विधियों द्वारा कार्य करने में मदद मिल सकती है।

नागरिकता के मूल में, संविधान की प्रस्तावना के मूल्य ही बसे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी 2020) कहती है कि, प्रस्तावना में वर्णित मूल्य 'उन मूलभूत सिद्धान्तों में से एक हैं जो व्यापक शिक्षा प्रणाली, के साथ-साथ इसमें स्थित व्यक्तिगत संस्थाओं को भी मार्गदर्शित करेंगे।'

इस नज़रिए से देखा जाए तो यह ज़रूरी है कि हम अपनी कक्षाओं में प्रस्तावना को पढ़ें, सीखें और उसका पाठ करें एवं संवादात्मक और अनुभवात्मक पद्धतियों के माध्यम से इसे समझना शुरू करें। विभिन्न परिवेशों में युवा नागरिकों की परिस्थितियों और अनुभवों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर ही प्रस्तावना और उसके मूल्यों को जीवन्त किया जा सकता है।

Resources

A short film on the campaign – Constitution at 70 campaign: https://youtu.be/jXxQYZ9KayA

Find more resource materials here: https://www.wethepeople.ooo/resource-center



अस्मिता तिवारी *वी, द पीपल अभियान* में प्रोग्राम मैनेजर, कंटेंट हैं। अस्मिता पिछले तीन वर्षों से विकास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक और शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। *वी, द पीपल* अभियान में वे मुख्य रूप से विविध तरह के दर्शकों तथा श्रोताओं के लिए प्रासंगिक, चिन्तनशील और दिलचस्प सामग्री विकसित करने के साथ ही उसके प्रभाव का अध्ययन करती हैं। उनसे asmyta.tiwari@wethepeople.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** सात्विका ओहरी